

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्बेर 20 नियम 6-7 जाप्ता विवाजी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

इजलास श्री श्री बाबूजी, R.A.S.-2
 बनाम श्री श्री लक्ष्मी, रामा, 500 रुमा रुमा
श्री लक्ष्मी, रामा, 500 रुमा रुमा
श्री लक्ष्मी, रामा, 500 रुमा रुमा
 3 श्री लक्ष्मी, रामा, 500 रुमा रुमा
 4 श्री लक्ष्मी, रामा, 500 रुमा रुमा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.A.S.
 मुकदमा नम्बर 161 सन 18 राजस्व वाद
 यह मुकदमा अज वास्ते इनफिरसल कर्ताई रुबरु अदालत व डिजरी वकील वादी गिनजानिव मुदई
 व 6 गिनजानिव मुदायला पेश होकर हुवम दिया जाता है। डिक्री
 दी जाती हैं कि :-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.A.S. के अन्तर्गत अदालत द्वारा मुकदमा खारिज कर दिया गया है।



बाबत खर्चा, इस मुकदमे में सूद शहर फौरादी सालाना आज तारीख से तारीख द
 सूचना तक अदा करें।
 बाबत खर्चे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 88 माह 2 सन 18

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, भीलवाड़ा